By Speed Post

भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(A Constitutional body set up under Article 338A of the Constitution of India)

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003

Case No. SKM/1/2018/MRLY1/SEPROM/RU-I

Dated:13/12/2019

To,

1. The Chairman,
Railway Board, Rail Bhawan,
Rafi Marg,
New Delhi-110001

2. The General Manager,
Northern Central Railways,
Subedarganj,
Prayagraj (UP).
(Tel: 0532- 2435109)
(Fax: 0532- 2435102)

3. The Principal Financial Advisor
& Chief Account Officer,
North Central Railway,
Subedarganj, Prayagraj (U.P.)

Sub: Representations dated 18/01/2018 and 27/02/2018 received from Shri Sanjay Kumar Meena and Shri Deshraj Meena, Account Clerk, North Central Railway Project Unit, IRCOT Complex, Behind Shankar Market, New Delhi regarding conspiracy for demotion.

Sir,

I am directed to refer to the subject cited above and to enclose a copy of the minutes of Sitting held in the Headquarters of National Commission for Scheduled Tribes on 22/11/2019 at 12:30 P.M. under the Chairmanship of Dr. Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes in the matter.

It is, requested that action taken on the recommendations of the Commission may please be sent to the NCST at the earliest.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(S.P. Meena/एस.पी.मीना)
Assistant Director/सहायकनिदेशक
Tel: 011-24641640.

Copy to:

Shri Sanjay Kumar Meena and Shri Deshraj Meena,
Account Clerk,
North Central Railway Project Unit,
Ganga Parishar,
Prayagraj,
(Uttar Pradesh)
(Mob: 9785487573, 9887650810)

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Chairperson, NCST
2. NIC (please upload on the Commission's website).

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

फाईल संख्या SKM/1/2018/MRLY1/SEPROM/RU-I

श्री संजय कुमार मीणा तथा देशराज मीणा, एकाउंट क्लर्क, उत्तर मध्य रेलवे, प्रोजेक्ट यूनिट, आई.आर.सी.ओ.टी. कॉमप्लेक्स, नई दिल्ली को पदोन्नति में आरक्षण नियमों के उल्लंघन तथा पदावनत करने के मामले में, डॉ0 नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 22.11.2019 को 12:30 बजे आयोजित सिंटिग का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों की सूची संलग्नक में है।

श्री संजय कुमार मीणा तथा देशराज मीणा, एकाउंट क्लर्क, उत्तर मध्य रेलवे, प्रोजेक्ट यूनिट, आई.आर.सी.ओ.टी. कॉमप्लेक्स, नई दिल्ली ने अभ्यावेदन दिनांक 18.01.2018 द्वारा उत्तर–मध्य रेलवे (वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी) द्वारा उनको पदोन्नति में आरक्षण नियमों के उल्लंघन तथा पदावनत करने के मामले में, आयोग से न्याय दिलाने का निवेदन किया।

सुश्री अनुसुईयां उइके, उपाध्यक्ष महोदया ने प्रकरण में दिनांक 07.03.2019 को उत्तर–मध्य रेलवे के अधिकारियों तथा अभ्यावेदकों के साथ निराकरण हेतु सिंटिग आयोजित की। इसके बाद पुनः सुश्री अनुसुईयां उइके, माननीय उपाध्यक्ष महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 30.04.2019 को उत्तर–मध्य रेलवे के संबंधित अधिकारियों तथा अभ्यावेदकों के साथ सिंटिग आयोजित की। सिटिंग दिनांक 30.04.2019 में विस्तृत विचार–विमर्श के बाद माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने निम्न अनुशंसाए की तथा यह निश्चित किया कि वित्त सलाहकार विभाग उत्तर–मध्य रेलवे, प्रयागराज प्रकरण में सकारात्मक प्रस्ताव उचित माध्यम से 15 दिन के अन्दर रेलवे बोर्ड को प्रेषित करे। तदोपरान्त, रेलवे बोर्ड प्रकरण में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए 15 दिन के अन्दर विचार करने का कष्ट करे। उत्तर–मध्य रेलवे तथा रेलवे बोर्ड प्रकरण में की गयी/की जाने वाली कार्रवाई की सूचना आयोग को एक महीने के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

(1) उत्तर–मध्य रेलवे, उपरोक्त प्रकरण में सकारात्मक विस्तृत प्रस्ताव बनाए तथा उसे रेलवे बोर्ड को उचित माध्यम से विचार करने हेतु प्रेषित करे। क्योंकि प्रकरण में उत्तर–मध्य रेलवे के वित्त विभाग की त्रुटि हुई है जिसका दुष्परिणाम अभ्यावेदकों को भुगतना पड़ा है / पड़ रहा है।

(2) माननीय कैट में विचाराधीन मामले को अभ्यावेदकों द्वारा तुरंत वापस लेना होगा, यदि रेलवे बोर्ड उनके हित में पदोन्नति जारी रखता है और उन्हें वर्तमान पद पर कार्य करने की अनुमति दे दी जाती है।

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

दिनांक 30.04.2019 के सिटिंग के कार्यवृत्त, आयोग ने पत्र दिनांक 08.05.2019 द्वारा अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, मुख्य वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, उत्तर–मध्य रेलवे तथा महाप्रबधंक, उत्तर–मध्य रेलवे को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया। महाप्रबंधक, उत्तर–मध्य रेलवे के कार्यालय ने पत्रांक सं 145–ई / Comp/SCT/2018/N.C./Account-HQ/01 दिनांक 06.09.2019 द्वारा प्रधान वित्त सलाहकार, उत्तर–मध्य रेलवे के कार्यालय के पत्र संख्या 2019/Dy.FA&CAO/G/NCR/NCST/SKM&DRM दिनांक 06.09.2019 की प्रति अग्रसारित की। प्रधान वित्त सलाहकार, उत्तर–मध्य रेलवे के कार्यालय पत्र दिनांक 06.09.2019 में मामलें की पृष्ठभूमि बताते हुए अवगत कराया कि आयोग को रेलवे के पत्र दिनांक द्वारा 19.03.2019 तथा 09.02.2018 के द्वारा विस्तृत जानकारी भेजी जा चुकी है। इस पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि मामला माननीय कैट, नई दिल्ली के समक्ष 15.04.2019 को प्रस्तुत किया गया था जिसमें आवेदकों के प्राक्सी एडवोकेट के द्वारा कहा गया कि "she will not be pressing any other relief in any forum, till disposal of this matter". यह भी अवगत कराया गया कि प्रकरण में रेलवे बोर्ड ने अपने पत्रांक 2019 / AC-II/20/10 दिनांक 17.07.2019 द्वारा अपना मत प्रस्तुत किया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि "Hon'ble CAT Delhi granted stay and Shri Deshraj Meena and Shri Sanjay Kumar Meena are allowed to continue provisionally in the higher posts, this does not regularize the said wrong empanelment. Incidentally in the context of Hon'ble SC/ST Commission's communication in the matter, since the matter is already subjudice, the same including views recorded in the Hon'ble CAT, Delhi's Order sheet dated 15/04/2019 needs to be highlighted by the Railway before the Hon'ble Commission.

अभ्यावेदक रेलवे प्रशासन द्वारा की गयी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे और पुनः न्याय की प्रार्थना की। अतः माननीय अध्यक्ष महोदय ने दिनांक 22.11.2019 को रेलवे विभाग के सभी संबंधित अधिकारियों तथा अभ्यावेदकों के साथ विचार–विमर्श हेतु सिटिंग निश्चित की। आयोग ने पत्र दिनांक 07.11.2019 द्वारा अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, महाप्रबधंक उत्तर–मध्य रेलवे तथा मुख्य वित्तीय सलाहकार एवं प्रधान लेखाधिकारी उत्तर–मध्य रेलवे एवं अभ्यावेदकों को सिटिंग की सूचना जारी की।

अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड ने अपने अ0–शासकीय पत्रांक 2018-E(SCT)II/18/1 दिनांक 15.11.2019 द्वारा अवगत कराया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण वह सिटिंग में उपस्थित नहीं हो पायेंगे। उत्तर–मध्य रेलवे के संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी सिटिंग में उपस्थित होगा। महाप्रबंधक, उत्तर–मध्य रेलवे ने अपने अर्ध–शासकीय प्रत्रांक 2019/Dy.FA&CAO/G./NCR/NCST/SKM&DRM दिनांक 20.11.2019 द्वारा सूचित किया कि माघ मेला 2020 के प्रबंधन में व्यस्त होने के कारण उपस्थित नहीं हो सकेंगे। सिटिंग में प्रधान वित्त सलाहकार एवं प्रधान लेखाधिकारी, उत्तर–मध्य रेलवे उपस्थित होंगे। सिटिंग में प्रधान वित्त सलाहकार उत्तर–मध्य रेलवे तथा अभ्यावेदकगण उपस्थित हुए।

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

माननीय अध्यक्ष महोदय ने अभ्यावेदकों से अपनी समस्याएं एवं कठिनाईयां बताने को कहा। अभ्यावेदकों ने बताया कि वित्त सलाहकार कार्यालय, उत्तर मध्य रेलवे उनके प्रकरण में कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं कर रहा है जिससे काफी निराशा हुई है। अतः शीघ्रातिशीघ्र प्रकरण में उचित कार्रवाई करके न्याय दिलाए, यह प्रार्थना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने उत्तर–मध्य रेलवे से आए अधिकारियों / प्रतिनिधियों से रेलवे प्रशासन द्वारा की गयी/की जाने वाली कार्रवाई बताने को कहा। प्रधान वित्त सलाहकार उत्तर–मध्य रेलवे ने अपने पत्रांक दिनांक 06.09.2019 में बताए गए तथ्यों तथा की गयी कार्रवाई को पुनः दोहराया। यह भी अवगत कराया कि रेलवे बोर्ड ने प्रकरण में कार्रवाई करने के लिए माननीय कैट का हवाला दिया है। चूकिं मामला वर्तमान में माननीय कैट, नई दिल्ली में विचाराधीन है, अतः विभाग द्वारा पदोन्नति के बारे में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह पाया कि प्रकरण में प्रधान वित्त सलाहकार कार्यालय, उत्तर–मध्य रेलवे की त्रुटि के कारण भोले–भाले अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को पीड़ा झेलनी पड़ रही है। रेलवे प्रशासन द्वारा दोनों अभ्यावेदकों को पदोन्नति प्रदान करनी चाहिए क्योंकि इसमें इनका कोई दोष नहीं है। जैसा कि अभ्यावेदकों ने बताया कि उन्होंने एक और विभागीय अगले उच्च पद के लिए परीक्षा दी है जिसका परिणाम अभी घोषित नहीं किया गया है। यदि यह दोनों आवेदक पदावनत कर दिए जाऐंगे तो वह विभागीय अगले उच्च पद की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद, अयोग्य घोषित हो जाऐगें, जो उनके साथ पुनः एक बार ओर अन्याय होगा।

प्रधान वित्त सलाहकार तथा अन्य अधिकारियों, उत्तर मध्य रेलवे तथा अभ्यावेदकों के साथ विस्तृत विचार–विमर्श के उपरांत, माननीय अध्यक्ष महोदय ने निम्न अनुशंसाए की तथा कहा कि उत्तर मध्य रेलवे प्रशासन तथा रेलवे बोर्ड, आयोग को एक महीने के अन्दर की गयी/की जाने वाली कार्रवाई से अवगत कराए।

(1) इस प्रकरण को "विशेष प्रकरण" मानते हुए, वित्त सलाहकार विभाग, उत्तर मध्य रेलवे तथा रेलवे बोर्ड एवं रेलवे के अन्य संबंधित प्रशासनिक विभाग, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रकरण पर पुनः विचार करे, जिससे आवेदकों को न्याय मिल सके।

(2) आवेदकों को सलाह दी जाती है, यदि, रेलवे प्रशासन द्वारा उनके हित में पदोन्नति हेतु कार्रवाई की जा रही है, तो वह माननीय कैट, नई दिल्ली में विचारधीन अपने मामले को तुरंत वापस ले लें।

12.12.019

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

फाईल संख्या SKM/1/2018/MRLY1/SEPROM/RU-I

श्री संजय कुमार मीणा तथा देशराज मीणा, एकाउंट क्लर्क, उत्तर मध्य रेलवे, प्रोजेक्ट यूनिट, आई.आर.सी.ओ.टी. कॉमप्लेक्स, नई दिल्ली को पदोन्नति में आरक्षण नियमों के उल्लंघन तथा पदावनत करने के मामले में, डॉ0 नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 22.11.2019 को 12:30 बजे आयोजित सिंटिग में प्रतिभागियों की सूची।

I राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. डॉ0 नन्द कुमार साय (अध्यक्षता में)
   माननीय अध्यक्ष

2. श्री के0 तउथांग
   संयुक्त सचिव

3. डॉ0 ललित लट्टा
   निदेशक

4. श्री आर. एस. मिश्रा
   वरिष्ठ अन्वेषक

5. श्री विकास शर्मा
   परामर्शक (विधिक)

II **अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली**

–शून्य–

III **महाप्रबंधक, उत्तर–मध्य रेलवे**

–शून्य–

IV **प्रधान वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, उत्तर–मध्य रेलवे**

1. श्री अजय माथुर, पी.एफ.ए.
2. श्री संदीप महेश्वरी, Dy. FA
3. श्री एच.एन. चौधरी, Dy. CP

V **याचिकाकर्ता**

1. श्री देशराज मीणा
2. श्री संजय कुमार मीणा